वाणिज्य अ.ज.– 700

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.–II/2017–18/प्रे 2430 दि: 11-10-17

आदेश

विषयः– वी.सी.आर. प्रकरणों की सुनवाई के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 17/11–सी दिनांक 31.07.2017 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जॉच प्रतिवेदन के राजस्व निर्धारण से सहमत नही होने पर राजस्व निर्धारण राशि उपभोक्ता के बिल में जुडने से 90 दिन तक वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एव रिव्यू समिति में सुनवाई हेतु स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2016 से पूर्व की लम्बित वी.सी.आर. का निस्तारण आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज.–686 दिनांक 11.08.2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा हैं

उक्त आदेशों के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैः–

1. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जॉच प्रतिवेदनों जिनका राजस्व निर्धारण कर राशि उपभोक्ता के खातों में डेबिट करके वसूल की जा चुकी है, परन्तु कम्पाउण्डिंग राशि वसूल नही की गई है, और ना ही एफ.आई. दर्ज कराई गई है। ऐसे प्रकरणों को निस्तारित समझा जावें।
2. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जॉच प्रतिवेदनों के जिन मामलों में उपभोक्ताओं के खातो में राजस्व निर्धारण राशि डेबिट कर दी गई है, परन्तु अभी तक वसूल नही हुई है, उन प्रकरणों को भी वाणिज्य अ.ज.–686 के प्रावधानों के अनुसार राशि अथवा जमा राशि, जो भी अधिक है, लेकर निस्तारित कर दिया जावें।
3. दिनांक 30.06.2016 के बाद की लम्बित सतर्कता जॉच प्रतिवेदन जिनके राजस्व निर्धारण को बिलों में जुडे हुये 90 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु उपभोक्ताओं ने राशि जमा नही कराई है, उन्हे भी 31.10.2017 तक वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एव रिव्यू समिति में लिया जाकर आदेश संख्या 6 दिनांक 08.04.2015 एवं स्थायी आदेश संख्या 17/11–सी के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जा सकता है।
4. जिन मामलों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है, अथवा उपभोक्ता ने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है, ऐसे मामलों का उपरोक्त प्रावधानों के तहत निस्तारण नही किया जावेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगें।

आज्ञा से

10.10.17

(एस. एस. मीना)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर